कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 50 / 2019 / 10–11 / 2729 भोपाल, दिनांक 24-05-24

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः– **Diversion of 1305.142 ha (instead of 1248.821 ha) forest land for the construction of Maa Ratangarh Multipurpose Project in favour of Executive Engineer, Dabra under Datia and Gwalior Districts of Madhya Pradesh State (Online No. FP/MP/IRRIG/40397/2019) - regarding.**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 15 / 05 / 2023

---0---

कृपया आपके संदर्भित पत्र दिनांक 15 / 05 / 2023 से विषयांकित परियोजना के सम्बन्ध में 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है ।

अतः 03 बिन्दुओं की चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

i. The details of distribution network like canals and pipelines, which may further have required diversion of forest land etc. has not been given. A holistic proposal is required to be submitted as forest land may be required for laying of underground pipelines as well. The State Govt. shall therefore provide the complete lay out plan indicating all the components like canal, pipelines etc. The detail of the area requirement for these components shall also be submitted.

   इस संबंध में लेख है कि इस परियोजना से होने वाली सिंचाई के लिये पाईप लाईन एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों के लिये 17.63 हेक्टेयर अन्य वनभूमि की आवश्यकता होगी। इस 17.53 हेक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन पूर्व से ही आपके भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से लिया जा चुका है। यह स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Canal/149734/2021; 17.63 Ha में प्राप्त हो चुकी है।

ii. Sindh is a Tributary of Chambal River and therefore the impact of the proposed project on Chambal Wildlife Sanctuary and its surrounding water regimes shall be provided by the State Govt. along with the recommendations of the Chief Wildlife Warden of the State.

   इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि सिंध नदी चम्बल नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंध नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चम्बल नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। जिस स्थान पर चम्बल नदी यमुना नदी से मिलती है उसके लगभग 10 कि.मी. डाउनस्ट्रीम में सिंध नदी यमुना नदी से मिलती है। इस तथ्य की पुष्टि भारत की नदियों के मानचित्र या गूगल से की जा सकती है।

   FAC द्वारा दिये निर्देशों के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, उत्तर प्रदेश से इस संबंध में अभिमत चाहा गया है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन को एक पत्र भेजा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन का अभिमत अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य शासन का अभिमत प्राप्त होते ही मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत प्राप्त कर आपको प्रेषित कर दिया जायेगा। तदानुसार ही वन्यप्राणी योजना, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक से स्वीकृति उपरांत आपको प्रेषित कर दी जायेगी।

यह परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा उत्तर प्रदेश राज्य शासन का अभिमत प्राप्त न होने के कारण इसमें विलम्ब हो रहा है। यह अभिमत सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरांत प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

iii. The detailed Compensatory Afforestation scheme for the proposed non forest land (Ravine land) and degraded forest land shall be submitted.

इस संबंध में लेख है कि प्रस्ताव में दी गई गैर वनभूमि पर 200 से 250 पौधें रोपित किये जायेंगे, जिसकी मॉडल रिपोर्ट आपको प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त शेष पौधें बिगड़े वनों में रोपित किये जायेंगे, जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्ताव के भाग–2 में अपलोड है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

24.05.24

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 50 / 2019 / 10–11 / 2730 भोपाल, दिनांक 24-05-24
प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दतिया / ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. Executive Engineer, Dabra under Datia and Gwalior Districts of Madhya Pradesh

की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

24.05.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल